


05.10.2023:—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। मूल वाद पत्र मे डिक्री हो गया। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर प्रार्थीया द्वारा अनापति जाहिर की गई। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर विड्री किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
/ सहायक कलक्टर  
एवं जजमन्दाधिकारी  
जजमन्दा